न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 001/2020

मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी (श्रीकृष्ण जी महाराज) वाके ग्राम हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं शाश्वत नाबालिक जरिये पुजारी एवं सेवायत श्री विद्याधर दास उम्र 47 वर्ष पुत्र स्व0 जानकीदास जाति स्वामी, निवासी हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. कमला पुत्री ज्यानकीलाल, उम्र 50 वर्ष, जाति स्वामी, निवासी ग्राम हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं हाल निवासी पत्नी रघुनाथ, निवासी सांवल का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. मनोहरी देवी पुत्री ज्यानकीलाल, उम्र 45 वर्ष, जाति स्वामी, निवासी ग्राम हेतमसर, तहसील व ज़िला झुंझुनूं हाल निवासी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद, निवासी रतनपुरा, तहसील राजगढ जिला चूरू।
3. सुभीता पुत्री ज्यानकीलाल, उम्र 42 वर्ष, जाति स्वामी, निवासी ग्राम हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं हाल निवासी पत्नी श्यामलाल, निवास जांटवाली, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
4. श्यामलाल पुत्र शिवनारायण, उम्र 42 वर्ष, जाति स्वामी, निवासी जांटवाली, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।
6. उप पंजीयक कार्यालय, मण्डावा।
7. बैंक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं अ0धा0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री विकम दूलड, एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री फूलचन्द सैनीं, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 7 की ओर से।
3. श्री अनिल झाझडिया, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 4 की ओर से।
4. श्री शरीफ खान, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
5. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अप्रार्थीगण सं0 5 व 6 की आरे से उपस्थित।
6. अप्रार्थीगण सं 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 04.01.2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि ग्राम हेतमसर तहसील व जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि हाल खसरा नं0 142 व 632 स्थित है जिसका मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार से हैः–

हाल खसरा नं0	क्षेत्रफल	गत खसरा नं0	क्षेत्रफल
142	1.48 है0	41	5 बीघा 17 बिस्वा
632	2.17 है0	194/1	12 बीघा 13 बिस्वा

जिला कलक्टर झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित आराजी हाल खसरा नं0 632 रकबा 2.17 है0 मूर्ति मन्दिर ठाकुर जी (श्री कृष्ण जी) महाराज की थी। इस मन्दिर में श्री कृष्णजी की मूर्ति विराजमान एवं स्थापित है। यह मन्दिर एवं इसमें स्थापित श्री कृष्णजी की मूर्ति सैकडो वर्षो से स्थापित है। इस मन्दिर एवं इसमे स्थापित मूर्ति की पूजा अर्चना पहले अपने जीवनकाल में श्री हनुमान दास किया करते थे व हनुमानदास जी की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र ज्यानकीदास जी इस मन्दिर व मूर्ति के पुजारी व सेवायत थे। श्री ज्यानकीदास जी का करीब 42 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था उनके देहान्त के बाद उनमें एकमात्र पुत्र विद्याधर दास ने अपनी माता श्रीमती भगवती देवी के संरक्षण में इस मन्दिर व मूर्ति की सेवा पूजा की। अपने पिता के देहान्त के समय विद्याधर दास केवल 5 वर्ष का नाबालिग था। उक्त मन्दिर एवं उसमें विराजमान मूर्ति की सेवा पूजा विद्याधर दास ने अपनी माता के सहयोग एवं संरक्षण में जारी रखी। बालिग हो जाने से विद्याधर दास स्वयं इस मन्दिर एवं उसमें विराजमान मूर्ति की सेवा पूजा करता आ रहा है। प्रार्थना पत्र की धारा एक में वर्णित भूमि गत खसरा नं0 41 तादादी रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 में उमसिह पुत्र माधोसिह, जाति राजपूत निवासी हेतमसर की खातेदारी की थी। उमसिह ने संवत 2010 में अपनी खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 हैक्टेयर भूमि खसरा नं0 194 हाल 632 में स्थापित मूर्ति मन्दिर ठाकुर जी के पुजारी व सेवायत होने के नाते हनुमानदास जी को दान में दे दी थी तथा ग्राम के प्रमुख व्यक्तियो के समक्ष भी उमसिह जी ने उक्त दान दी हुई भूमि उक्त मन्दिर के मौजूदा तथा आईन्दा होने वाले पुजारी के उपयोग/उपयोग के लिये ही रहेगी। इसलिए संवत् 2010 से जनवरी 1973 में हनुमानदास जी के कब्जे काश्त मे रही है व जनवरी 1973 के पश्चात् 23 अगस्त 1977 तक अपने स्वर्गवास तक श्री ज्यानकीदास पुत्र हनुमानदास ने उक्त मन्दिर के पुजारी व सेवायत होने के नाते उक्त दोनो अराजीयात को काश्त किया एवं कब्जे काश्त रहे। चूंकि गत खसरा नं0 194 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2012, 2014, 2018 व 2021 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की दर्ज रही है जिसका वादी ही काश्त करता है एवं काबिज है तथा भूमि गत खसरा नं0 41 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 है की भूमि दानदाता श्री उमसिह ने मन्दिर के पुजारी को दान में दे दी थी। गत खसरा नं0 41 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2012 में हनुमान सिह पुत्र भवंर सिह जाति राजपूत के नाम दर्ज रहा उक्त भूमि दान में दिये जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2014, 2018 से 2021 में हनुमानदास पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी जो कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित गत ख0न0 632 रकबा 2.17 हैक्टेयर में स्थित मन्दिर का पुजारी रहा है के नाम दर्ज रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2038 से 2041 में बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त भूमि की खातेदारी हनुमानदास व ज्यानकीलाल के नाम दर्ज कर दी गई जो कि गलत दर्ज की गई है उक्त प्रकार से हनुमानदास व ज्यानकीलाल के वारिस के नाम उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड दर्ज करने का रेवेन्यू अधिकारियो को कोई अधिकार नही था। इस प्रकार किसी भी निजी व्यक्ति को माफी मंदिर की भूमि में कोई अधिकार पैदा नही होता हैं उक्त भूमि मूर्ति मंदिर की रख–रखाव व सम्भाल के लिए पुजारी को बतौर **Custodian** दी जाती है। कानूनन प्रार्थी मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी (श्रीकृष्ण जी) के नाम ही गत खसरा नं0 41 व 194 के आराजियात की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में जो गलत रेवेन्यू रिकार्ड बना है उसे दुरूस्त किया जाकर उक्त मूर्ति मन्दिर ठाकुर जी के नाम दर्ज की जानी न्यायोचित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2030 संवत् 2038 लगायत 2041 की आड़ में अन्य सभी तथ्यों को छुपाया जाकर मूर्ति मन्दिर पुजारी विद्याधर की बहिन अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एक दावा बाबत हाल ख0न0 142, 632 [illegible] बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थिया संख्या 1 [illegible]यत [illegible] को 3/5 हक हिस्से की खातेदारी घोषित किया गया एवं उसके पश्चात अप्रार्थिया 1 लगायत 3 की [illegible] हाल ख0न0 632 के अपने 3/5 हक हिस्से की जमीन अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दिनांक 17.07.[illegible] को एक विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया गया। इस प्रकार माफी मन्दिर की भूमि किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज नही की जा सकती एवं न ही उस व्यक्ति को कोई अधिकार पैदा होते हैं अप्रार्थी संख्या 4 एक भू–माफिया किस्म का व्यक्ति है, जो कि मन्दिर माफी की जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है यदि वर्तमान खातेदार गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

उठाकर भूमि का बेचान कर देते है तो मन्दिर श्री ठाकुर जी के हितो के विपरीत होगा तथा माफी मन्दिर की भूमि को भू माफिया द्वारा खुर्द–बुर्द करने का मौका मिल जायेगा। जिससे माफी मन्दिर ठाकुर जी को बडी हकतलफी होगी। माफी मन्दिर शाश्वत नाबालिग है मन्दिर की सम्पति किसी भी दस्तावेज के माध्यम से हस्तान्तरित नही की जा सकती है अगर हस्तान्तरित कर भी दी जाती है तो वह प्रारम्भ से अवैध व शून्य है मन्दिर की सम्पति पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रौद्भूत नही होते। मन्दिर शाश्वत नाबालिग होने से उसके हितों रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना कानूनी गलत है उक्त प्रकार के किये गये अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबन्धित किये गये है। उक्त भूमि के बारे में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन नियमन– अन्तरण तथा समस्त प्रकार की आज तक की गई रद्दोबदल प्रारम्भ से ही शून्य है। सार्वजनिक के उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना उचित नही हैं। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना लैण्ड होल्डर तहसीलदार का दायित्व हैं। मूर्ति–मन्दिर की भूमि में किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी खातेदारी हकूक प्राप्त नही होते है। इसलिये अनावेदकगण 1 लगायत 4 को उक्त भूमि में कोई खातेदारी हक हकूक प्राप्त नही हुए और उक्त गलत राजस्व काबिले दुरूस्ति है और न्याय हित में गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड में पुनः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र रेफरेन्स सेवा में पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, भूमि हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नं0 632 रकबा 2.17 हैक्टेयर वाके ग्राम हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं की खातेदारी पुनः मूर्ति मंदिर ठाकुर जी (श्रीकृष्ण जी) के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि उमसिह ने संवत 2010 में अपनी खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 हैक्टेयर भूमि खसरा नं0 194 हाल 632 में स्थापित मूर्ति मन्दिर ठाकुर जी के पुजारी व सेवायत होने के नाते हनुमानदास जी को दान में दे दी थी तथा ग्राम के प्रमुख व्यक्तियो के समक्ष भी उमसिह जी ने उक्त दान दी हुई भूमि उक्त मन्दिर के मौजूदा तथा आईन्दा होने वाले पुजारी के उपयोग/उपयोग के लिये ही रहेगी। इसलिए संवत् 2010 से जनवरी 1973 में हनुमानदास जी के कब्जे काश्त मे रही है व जनवरी 1973 के पश्चात् 23 अगस्त 1977 तक अपने स्वर्गवास तक श्री ज्यानकीदास पुत्र हनुमानदास ने उक्त मन्दिर के पुजारी व सेवायत होने के नाते उक्त दोनो अराजीयात को काश्त किया एवं कब्जे काश्त रहे। चूंकि गत खसरा नं0 194 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2012, 2014, 2018 व 2021 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की दर्ज रही है जिसका वादी ही काश्त करता है एवं काबिज है तथा भूमि गत खसरा नं0 41 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 है की भूमि दानदाता श्री उमसिह ने मन्दिर के पुजारी को दान में दे दी थी। गत खसरा नं0 41 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2012 में हनुमान सिह पुत्र भवंर सिह जाति राजपूत के नाम दर्ज रहा उक्त भूमि दान में दिये जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2014, 2018 से 2021 में हनुमानदास पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी जो कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित गत ख0न0 632 रकबा 2.17 हैक्टेयर में स्थित मन्दिर का पुजारी रहा है के नाम दर्ज रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2038 से 2041 में बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त भूमि की खातेदारी हनुमानदास व ज्यानकीलाल के नाम कर दी गई जो कि गलत दर्ज की गई है उक्त प्रकार से हनुमानदास व ज्यानकीलाल के वारिस के नाम उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड दर्ज करने का रेवेन्यू अधिकारियो को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार किसी भी निजी व्यक्ति को माफी मंदिर की भूमि में कोई अधिकार पैदा नही होता हैं उक्त भूमि मूर्ति मंदिर की रख–रखाव व सम्भाल के लिए पुजारी को बतौर Custodian दी गई थी। इसलिये मूर्ति मन्दिर श्री ठाकुर जी (श्रीकृष्ण जी) के नाम ही गत खसरा नं0 41 व 194 के आराजियात की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में जो गलत रेवेन्यू रिकार्ड बना है उसे दुरूस्त किया जाकर उक्त मूर्ति मन्दिर ठाकुर जी के नाम दर्ज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

जानी न्यायोचित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2030 संवत् 2038 लगायत 2041 की आड़ में अन्य सभी तथ्यों को छुपाया जाकर मूर्ति मन्दिर पुजारी विद्याधर की बहिन अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एक दावा बाबत हाल ख0न0 142, 632 माननीय न्यायालय में बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थिया संख्या 1 लगायत 3 को 3/5 हक हिस्से की खातेदारी घोषित किया गया एवं उसके पश्चात अप्रार्थिया 1 लगायत 3 की ओर से हाल ख0न0 632 के अपने 3/5 हक हिस्से की जमीन अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दिनांक 17.07.2015 को एक वक्रय-पत्र तस्दीक करवा दिया गया। इस प्रकार माफी मन्दिर की भूमि किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज नही की जा सकती एवं न ही उस व्यक्ति को कोई अधिकार पैदा होते हैं अप्रार्थी संख्या 4 एक भू-माफिया किस्म का व्यक्ति है, जो कि मन्दिर माफी की जमीन को खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है यदि वर्तमान खातेदार गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर भूमि का बेचान कर देते है तो मन्दिर श्री ठाकुर जी के हितो के विपरीत होगा तथा माफी मन्दिर की भूमि को भू माफिया द्वारा खुर्द-बुर्द करने का मौका मिल जायेगा। जिससे माफी मन्दिर ठाकुर जी को बडी हकतलफी होगी। माफी मन्दिर शाश्वत नाबालिग है मन्दिर की सम्पति किसी भी दस्तावेज के माध्यम से हस्तान्तरित नही की जा सकती है अगर हस्तान्तरित कर भी दी जाती है तो वह प्रारम्भ से अवैध व शून्य है मन्दिर की सम्पति पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रौद्भूत नही होते। मन्दिर शाश्वत नाबालिग होने से उसके हितों रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना कानूनी गलत है उक्त प्रकार के किये गये अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबन्धित किये गये है। उक्त भूमि के बारे में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन नियमन- अन्तरण तथा समस्त प्रकार की आज तक की गई रद्दोबदल प्रारम्भ से ही शून्य है। सार्वजनिक के उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना उचित नही हैं। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना लैण्ड होल्डर तहसीलदार का दायित्व हैं। मूर्ति-मन्दिर की भूमि में किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी खातेदारी हकूक प्राप्त नही होते है। इसलिये अनावेदकगण 1 लगायत 4 को उक्त भूमि में कोई खातेदारी हक हकूक प्राप्त नही हुए और उक्त गलत राजस्व काबिले दुरूस्ति है और न्याय हित में गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर पूर्व की भांति राजस्व रिकार्ड में पुनः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर, भूमि हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नं0 632 रकबा 2.17 हैक्टेयर वाके ग्राम हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं की खातेदारी पुनः मूर्ति मंदिर ठाकुर जी (श्रीकृष्ण जी) के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि भूमि हाल खसरा नं0 142 रकबा 1.48 हैक्टेयर मंदिर पुजारी के नाम व खसरा नं0 632 रकबा 2.17 हैक्टेयर वाके ग्राम हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनूं की खातेदारी पुनः मूर्ति मंदिर ठाकुर जी (श्रीकृष्ण जी) के नाम रही है। अतः उक्त विवादित भूमि के कम मे रेफरेन्स का प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी सं0 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं मे पेश दावा बाबत हाल ख0न0 142, 632 बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा मे पारित निर्णय के अनुसार अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की खातेदारी मिली है। प्रार्थी को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्रार्थी यह रेफरेन्स प्रस्तुत नही कर सकता है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 7 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि

विवादित भूमि अप्रार्थी सं0 7 के पास ऋण के बदले रहन रखी हुई है। अप्रार्थी सं0 7 के हितों को सुरक्षित रखा जाते हुए प्रार्थी का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।.

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 5 व 6 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम हेतमसर स्थित भूमि ख0न0 632 जिसका गत ख0न0 194/1 है की जमाबन्दी संवत् 2012, 2014 व 2018 मे माफी मंदिर श्री ठाकुरजी वाके देह पुजारी हनुमान पुत्र अर्जुनदास जाति स्वामी नि0 ग्राम दर्ज है जो जमाबन्दी संवत् 2022–25 मे हनुमदानदास पुत्र अर्जुनदास कौम स्वामी नि0 ग्राम के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर वर्तमान रिकार्ड मे खातेदारी चली आ रही है। चूंकि उक्त ख0न0 की भूमि पूर्व मे मंदिर खातेदारी की भूमि रही है जिसका रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। भूमि ख0न0 वर्तमान 142 जिसका गत ख0न0 41 है की भूमि जमाबन्दी संवत् 2012 से आदिनांक तक हनुमानदास पुत्र अर्जनदास, जाति स्वामी के नाम से खातेदारी हक से दर्ज है।.

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम हेतमसर स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 142 रकबा 1.48 हैक्टेयर जिसका गत ख0न0 41 है की भूमि जमाबन्दी संवत् 2012 से आदिनांक तक हनुमानदास पुत्र अर्जनदास, जाति स्वामी के नाम से खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी हनुमानदास पुत्र अर्जनदास, जाति स्वामी के नाम से होने के कारण रेफरेन्स स्वीकार किया जाना उचित नही है। इसके अलावा खसरा नम्बर 632 गत ख0न0 194/1 रकबा 2.17 हैक्टेयर जिसकी खातेदारी संवत् 2012, 2014, 2018 से 2021 मे माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। विवादित भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी जी वाके देह की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसके खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को नही दिये जा सकते है। चूंकि रेफरेन्स तहसीलदार के अलावा मंदिर हित पुजारी या अन्य कोई भी व्यक्ति पेश कर सकता है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जो अपने हितों की स्वयं रक्षा नही कर सकते है। मन्दिर हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं। अतः ग्राम हेतमसर स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 632 रकबा 2.17 हैक्टेयर की खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि ग्राम हेतमसर स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 632 गत ख0न0 194/1 रकबा 2.17 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी वाके देह के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार मण्डावा को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.05 16:51:16 IST
Reason: SelfAttested